CHETANA
International Journal of Education
Impact Factor
SJIF-5.689
Peer Reviewed/
refereed Journal
ISSN-
Print-2231-3613,
Online-2455-8729

Prof.A.P.Sharma (25.12.1932 - 09.01.2019)

Received on 18th May 2020, Revised on 25th May 2020; Accepted 10th June 2020

शोध–पत्र

महिला सशक्तिकरण और कामकाजी महिलाओं में तुलनात्मक अध्ययन

* **नमिता गुप्ता**, *शोधार्थी–वाणिज्य,*
शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय,
उज्जैन, मध्यप्रदेश
** **डॉ. आर.के. जैन,** *प्राध्यापक–वाणिज्य,*
शासकीय बी.एस.एन. महाविद्यालय, शाजापुर, मध्यप्रदेश
ईमेल– ....., मोबाईल–.....

मुख्य शब्द – *महिला सशक्तिकरण, कामकाजी महिला, शिक्षा, व्यावसाय हेतु प्रोत्सहन, लघु एवं कुटीर उद्योग आदि।*

सारांश

महिला सशक्तिकरण और कामकाजी महिलाओं में योजनाऐं एक बहुआयामी दिशा प्रदान करता है। शहरी घेरलू कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाऐं प्रदान करना। कामकाजी महिलाओं को शिक्षा, व्यावसाय हेतु प्रोत्सहन, लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए सहायता करना आदि। इन महिलाओं के विकास का साधन है। इस प्रकार के मापदण्ड से विकास सम्भव हो सकता है। अधिकतम दो प्रसूतियों के लिए निरधारित मापदण्ड पर कलेक्टर रेट पर सप्ताह भीर की मजदूरी पिवृत्व आवकाश आदि प्रदान करना। पिता को दिन की मजदूरी आदि प्रदान करना जिससे प्रसूता के लिए व्यय किया जा सके। महिलाओं में दो पुत्रियों के होने पर विवाह योग्य होने पर विवाह हेतु नगद राशि प्रदान करना। किन्तु महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं को अधिकार प्रदान करना, जिससे इनका भी आर्थिक विकास हो सके। इस प्रकार महिलाओं को छोटे–छोटे कार्यों में लगाकर उन्हें आर्थिक उन्नत करना है। जिससे अपने जीवन के प्रति सजग हो सकें और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें।

प्रस्तावना

कामकाजी महिलाओं को विभिन्न योजनाओं से सीधे जोड़ना ताकि वे भी अपना विकास कर सकें। इस प्रकार से महिलाओं की आर्थिक विकास को बल प्रदान किया गया है। जब कोई नारी आर्थिक मजबूत होती है। वह सामाजिक सामाजिक विभिन्नता के विभिन्न स्तरों में विकास करती है। इस प्रकार से उनका जीवन सरल और सहज होता है। उनके जीवन से जुड़े संसाधनों को जुटाने के गम्भीर जेण्डर असंतुलन को मजबूत करना महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य है। कामकाजी महिलाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित करने से उनके मन की शक्ति को विकसित कर सरकार का महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

शोध प्रविधि

इस शोध पत्र विषय में **महिला सशक्तिकरण और कामकाजी महिलाओं में तुलनात्मक अध्ययन** में प्राथमिक एवं द्वितीयक शोध सामाग्री के रूप में अध्ययन किया गया है। इस हेतु प्राथमिक स्रोत के रूप में कामकाजी महिलाओं को विकास साधन और योजनाओं का अध्ययन किया गया है। इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण की ओर उन्हें सजग करना भी प्रशासन की भूमिका है। इस प्रकार की सहायता प्राप्त महिलाओं को विकास के मार्ग को प्रोत्साहित करना आदि। द्वितीयक शोध सामाग्री के रूप में पत्र–पत्रिकाओं, दैनिक समाचार पत्र आदि के द्वारा अध्ययन किया गया है।

उद्देश्य

- कामकाजी महिलाओं को प्राप्त होने वाली आर्थिक मदद को प्रोत्साहित करना।
- कामकाजी महिलाओं को प्रसूता के देखभाल हेतु उन्हें निर्धारित समय प्रदान करना।
- प्रसूता के पति को पालन पोषण हेतु उन्हें दिन की मजदूरी प्रदान करना।
- बालिका के विवाह हेतु सरकार की प्रोत्सहन राशि समय पर प्रदान करना।
- आर्थिक मदद करना।
- सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को सफल संचालन हेतु समन्वय स्थापित कर उनके अधिकारों को प्रदान करना।
- कामकाजी महिलाओं को लघु और कुटीर उद्योगों में कार्य विवरण प्रस्तुत करना।
- उन्हें इन छोटे–छोटे कार्यों में लगाकर उनका मनोवल बढ़ाना आदि ।
- महिला सशक्तिकरण की सुरक्षा हेतु उन्हें विविध आयाम प्रदान करना।
- महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव आदि को कम करने हेतु कड़े कानून व्यस्था को लागू करना।

समस्या

- कामकाजी महिलाओं को आर्थिक समस्या।
- कामकाजी महिलाओं में लघु और कुटीर उद्योगों को संचालित करने में ददालों को पैसे खाने की समस्या।
- समान कार्य के आधार पर समान परिश्रमिक देने की समस्या।
- प्रसूता के लिए उचित पोषण आहार प्रदान करने की समस्या।
- आँगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदान किया जाने वाला पोषण आहार न देने की समस्या।
- विवाह हेतु प्राप्त की जाने वाली पुरस्कार राशि में धाधली।
- सरकारी योजनाओं से आने वाली राशि में गवन करने की समसया।
- महिलाओं के साथ हिंसा, प्रताड़ना, दहेज, नौकरी आदि की विविध समस्याएँ।

समाधान

कामकाजी महिला और महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रशासन के द्वारा विकसित करने की अनेकों योजनाओं का संचालन हो रहा है। इससे इनके विकास का एक समुचित साधन एकत्रित होगा। इस प्रकार से महिला बाल विकास विभाग के द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए एक साहसिक कार्य कहा जा सकता है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत पात्रता की कुछ शर्ता को निधारित किया गया है। जिसमें कन्या जिसे लाभ प्राप्त करना है। वह मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए। कन्या के माता–पिता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला हो। कन्या निराश्रित या गरीब हो जिसका विवाह स्वयं के आर्थिक आधार पर न हो सकता हो ऐसे गरीब परिवार को सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार से ऐसी विधवा महिला जो आर्थिक रूप से कमजोर है। उसके जीवन यापन के लिए निराश्रित हो उसे भी सहायता प्रदान की जाती है।

- मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना।
- मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना 2009
- मुख्यमंत्री हाथठेलाएवं साईकिल रिक्शा चालक योजना 2009
- मुख्यमंत्री शहरी गरीबों के लिये कल्याण योजना 2012
- भवन एवं संनिर्माण कार्मकार मण्डल के अन्तर्गत
- मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना
- मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना 2009

मुख्यमंत्री कन्यदान योजना का लाभ लेने वाली लाभार्थी के घर में शौचालय का होना आवश्यक है। यह विवाह पूर्णतः सामूहिक रूप से संचालित होता है। यह पंचायत, तहसील, नगर पंचायत, जिलापंचायत, आदि जगहों पर संचालित होता है। किन्तु विकास की देख–रेख के लिये वास्तव में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जा रहा है। कामकाजी महिला और महिला सशक्तिकरण के रूप में इस क्षेत्र में कार्य करने वाले सरकारी और स्वशासी संस्थान आदि विकास की दिशा में अग्रसर है।

कामकाजी महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का विकास करना। इस प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ विकास है। इनकी समपूर्ण समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासन त्वरित निदान करता है। कामकाजी महिलाओं और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का पर पड़ने वाले प्रभावों के व्यवहारिक दृष्टिकोण, जिससे विकास के मार्ग को साधक बनाया जा सकता है।

सरकार द्वारा संचालित कामकाजी महिलाओं को योजनाओं का निष्पादन कर उन्हें जागरूक करना। इस प्रकार की योजनाओं के लाभ से महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत करना।

कामकाजी महिलाओं और महिला सशक्तिकरण के लिये विभिन्न योजनाओं का संचालन राज्य सरकार करती है। इससे प्रतिवर्ष हजारों लोग इसका लाभ प्राप्त करते हैं। इस हेतु वास्तव में यह आर्थिक लक्ष्यों तक पहुँचने मदत मिलती है। यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि विशेष परिस्थिति में उस पैसा का इतना अनियंत्रण होता है। उसे अनेक योजनाएँ असफल हो जाती है।

निष्कर्ष

कामकाजी महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ–साथ सामाजिक समस्याओं के निदान हेतु महिला सशक्तिकरण भी अग्रसर है। इससे सभी महिलाओं में जागरूकता का विकास होता है। समाज में एक विचार शक्ति चिन्तित होती है। इस प्रकार से समाज में होने वाली विभिन्न कठिनाईयों का समाधान करता है। इस प्रकार के महिलाओं को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। चाहे समूह विवाह योजना हो, या लघु उद्योग या कुटीर उद्योग सभी में कहीं न कहीं प्रशासन की भूमिका निश्चित रूप से है। इन्हें सफल बनाने में महिला सशक्तिकारण आवश्यक आयाम प्रस्तुत करता है। बिना शक्ति के सामर्थ नहीं उत्पन्न होती है। शक्ति वह है जो अपनी समस्याओं को किसी भी प्रशासक या व्यक्ति के सामने निडर होकर रखा जा सकें। इस प्रकार से इस प्रकार की योजनाओं से किसी न किसी रूप में लाभ जरूर मिल रहा है।

सन्दर्भ

1. अंजली वर्मा, भारत में कार्यशील महिलायें, उमंग पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2009, पृष्ठ 45
2. लालबहादुर सिंह, चौहान, भारत की गरिमामय नारियाँ, आत्माराम एण्ड संस, नई दिल्ली, 2008, पृष्ठ 98
3. बी.एन. सिंह, आधुनिकता एवं नारी सशक्तीकरण, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ 27
4. शांति कुमार स्याल, प्रगतिशील नारी, आत्माराम एण्ड संस, नई दिल्ली, पृष्ठ 2007, पृष्ठ 84
5. गोविन्द प्रसाद, महिला एवं बाल श्रमिक, डिस्कवरी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007, पृष्ठ 35
6. मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय, विभाग, द्वारा प्राप्त संशोधित योजना वर्ष 2013 का विवरणिका, 24 जून 2013 के निर्देशों पर आधारित है।

*** Corresponding Author:**
नमिता गुप्ता, *शोधार्थी–वाणिज्य*
शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय
उज्जैन, मध्यप्रदेश
डॉ. आर.के. जैन, *प्राध्यापक–वाणिज्य*
शासकीय बी.एस.एन. महाविद्यालय, शाजापुर, मध्यप्रदेश